ब्रह्मोस के लिए 80 हेक्टेयर भूमि ₹ 1 के लीज रेंट पर

राज्य मुख्यालय | विशेष संवाददाता

1 लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बनाने के लिए यूपी सरकार 80 हेक्टेयर जमीन एक रुपये के लीज रेंट पर डीआरडीओ को देगी। उप्र डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड में स्वदेशी तकनीक से विकसित होने वाली उच्च तकनीक की मिसाइल होगी।

शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 'डीआरडीओ' ब्रह्मोस, रक्षा मंत्रालय, के पक्ष में 80 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क एक रुपये के टोकन वार्षिक लीज रेन्ट पर दिए जाने तथा भूमि क्रय पर 100 प्रतिशत की स्टाम्प ड्यूटी से छूट दिये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस परियोजना के लिए राजधानी के सरोजनीनगर में 80 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गयी है। देश की रक्षा में विदेशी निर्भरता कम करने, स्वदेशी तकनीकी के विकास एवं अनुसंधान तथा रक्षा उपकरणों एवं उससे सम्बन्धित अन्य सामग्री क्रय में कमी लाने के लिए डीआरडीओ ब्रह्मोस-एनजी एयरोस्पेस परियोजना एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारत डायनामिक्स को झांसी नोड में जमीन खरीद के लिए 25 फीसदी की रियायत मिलेगी

2 भारत डायनामिक्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के झांसी नोड में स्वदेशी तकनीक से रक्षा क्षेत्र में आकाश मिसाइल में प्रयुक्त होने वाले प्रणोदन प्रणाली निर्माण सुविधा की स्थापना करेगी। इसके लिए प्रदेश कैबिनेट ने राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक के विकास के लिए उत्तर प्रदेश रक्षा और एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018 (यथासंशोधित) के प्राविधानों में ढिलाई करते हुए भारत डायनामिक्स लिमिटेड के पक्ष में भूमि का आवंटन के फैसले की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा भूमि के सकल विक्रय मूल्य का 25 प्रतिशत धनराशि की छूट के साथ 183 हेक्टेयर भूमि एक रुपये के टोकन वार्षिक लीज रेन्ट पर दिए जाने को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

मक्का क्रय नीति को सरकार ने मंजूरी दी

3 राज्य सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 की मूल्य समर्थन योजना के तहत मक्का क्रय नीति को मंजूरी दे दी है। मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1870 रुपए प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है। मक्का की खरीद 15 जनवरी तक होगी। खरीद के समय किसानों का आधार के जरिए बायोमीट्रिक सत्यापन किया जाएगा।

स्कूलों के बच्चों को मुफ्त यूनिफॉर्म और बैग के लिए अभिभावकों के खातों में 1800 करोड़ देंगे

4 सरकारी व सहायताप्राप्त प्राइमरी व जूनियर स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को निशुल्क यूनिफार्म, स्वेटर, जूता-मोजा व स्कूल बैग के लिए उनके अभिभावकों के खाते में धनराशि भेजी जाएगी। प्रदेश के 1.60 करोड़ विद्यार्थियों के अभिभावकों के खाते में 1800 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाएगी। शुक्रवार को कैबिनेट बाईसर्कुलेशन में यह फैसला लिया गया। यह धनराशि पीएफएमएस के माध्यम से डीबीटी की जाएगी। पीएफएमएस से धनराशि भेजने से धनराशि का ऑडिट किया जा सकेगा। इस निर्णय से शिक्षकों व अधिकारियों को इसकी खरीद व वितरण से मुक्ति मिलेगी जिससे वे पढ़ाई-लिखाई पर ज्यादा ध्यान दे सकेंगे। वहीं दूसरी तरफ, अभिभावकों को इसकी गुणवत्ता से शिकायत नहीं होगी, स्थानीय स्तर पर बाजार विकसित होगा।

कृषि निर्यात क्लस्टर्स के लिए 20 हेक्टेयर की बाध्यता खत्म

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति-2019 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। कैबिनेट ने इस 5 नीति के तहत किसानों के हित में कृषि उत्पादों के निर्यात को सरल एवं सुगम बनाने के लिए विभिन्न संशोधन किए गए हैं। कृषि निर्यात क्लस्टर्स के लिए 20-20 हेक्टेयर की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। साथ ही पोर्ट तक भाड़ा ले जाने के लिए मिलने वाले अनुदान को पांच रुपये प्रति किलो से बढ़ाकर 10 रुपये प्रति किलो कर दिया गया है।

कृषि निर्यात नीति-2019 में निर्यात क्लस्टर्स के लिए निर्धारित न्यूनतम 50 हेक्टेयर की कृषि भूमि की उपलब्धता 20-20 हेक्टेयर की आपस में निरन्तरता में होने के कारण निर्यात आधारित कृषक क्लस्टर के निर्माण में दिक्कतें आ रही थीं। नीति कि व्यवहारिक कठिनाइयों के मद्देनज़र 20-20 हेक्टेयर की आपस में निरन्तरता को समाप्त करते हुए विकास खण्ड के सीमा क्षेत्र में न्यूनतम 50 हेक्टेयर की कृषि भूमि होने का प्रावधान किया गया है। इससे कृषक समूहों को कृषि निर्यात नीति-2019 के तहत क्लस्टर आधारित प्रोत्साहन लाभ सुलभ एवं समय के मुताबिक अनुमन्य हो सकेंगे। प्रदेश की लैण्ड लॉक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में जल मार्ग से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जल मार्ग से निर्यात के लिए परिवहन अनुदान 5 रुपये से बढ़ा कर 10 रुपये प्रति किलोग्राम पोर्ट तक उत्पाद पहुंचाने के मार्ग व्यय सहित किया गया है। साथ ही इसमें रेल मार्ग को जोड़ा गया है।नीति में क्लस्टर्स के निकट स्थापित की जाने वाली नवीन प्रसंस्करण इकाइयों के लिए निर्यात आधारित प्रोत्साहन धनराशि दिए जाने, परिवहन अनुदान दिए जाने एवं क्लस्टर सूची में संशोधन की प्रकिया को सरल करते हुए भुगतान समय पर सुनिश्चित किये जाने के प्रावधान हैं।

दो-लेन से जोड़ने में पीसीयू मानक हटाया

6 राज्य सरकार की घोषणा सभी विकास खंड मुख्यालयों को दो लेन मार्ग से जोड़ने में बाधा बने पैसेंजर कार यूनिट (पीसीयू) मानक को शिथिल कर दिया गया है। शुक्रवार को मंत्रिपरिषद ने इस आशय के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया। पीसीयू के शिथिल कर दिए जाने से ब्लाक मुख्यालयों को दो-लेन मार्ग से जोड़ने के काम में तेजी आ सकेगी। बताया जाता है कि राज्य के कुछ ब्लाकों को जोड़ने वाले मार्ग पीसीयू मानक को पूरा नहीं कर रहे थे।